न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–5/13 वाद पत्र

उनवान

1–रतनलाल आत्मज मोहनलाल चमार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)
2–मिठूडी बेवा मोहनलाल चमार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन–

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 29.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेमाणा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर मे वादीगण के पिता एवं पति मोहनलाल को दिनांक : 6.7.79 को साबिक आराजी संख्या 719 मी रकबा 4 बीघा आवंटन की गई। आवंटन की दिनांक से उक्त 4 बीघा भूमि पर मोहनलाल का निरन्तर कब्जा चला आ रहा था , उनकी मृत्यु के पश्चात से उक्त भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण मे आवंटन आदेश, सिपुर्दगीनामा व नक्शा ट्रेस है। वाद पत्र की कलम नम्बर 1 मे अंकित आराजी संख्या 719 रकबा 4 बीघा मोहनलाल के नाम अलोट होने पर राजस्व रेकार्ड मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक : 4.5.80 व जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 तक की वाद पत्र के साथ पेश है। वादीगण के पिता एवं पति मोहनलाल वक्त आवंटन से आराजी संख्या 719/5 रकबा 4 बीघा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिसे करीब 32 वर्ष हो चुके है। वादीगण के पिता एवं पति मोहनलाल को आराजी संख्या 719/5 रकबा 4 बीघा का कब्जा साबिक आराजी संख्या 717 व 718 की सीमा से लगता हुआ दिया गया था तथा आवंटन के समय पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया नक्शा ट्रेस है, जिसमें भी वादीगण की आराजी संख्या 719 को 717 व 718 से लगती हुई बताई गई है। प्रमाण मे जमाबंदी 2046 से 2049 व संवत 2050 से 2053 की वाद पत्र के साथ पेश है। मोहन की मृत्यु होने पर खाता वादीगण के नाम दर्ज हो गया, नामान्तरकरण संख्या 1008 की नकल साथ पेश है। तहसील रायपुर मे भू प्रबन्ध होने से ग्राम खेमाणा मे भी भू प्रबन्ध हुआ, जिससे वादीगण की साबिक आराजी नम्बर 719/5 रकबा 4 बीघा के नवीन नम्बर 1574 रकबा 0.09 है0, 1575 रकबा 0.08 है0, 1576 रकबा 0.31 है0, 1577 रकबा 0.31 है0 कुल किता 4 कुल रकंबा 0.79 है0 कायम किये गये। प्रमाण मे मिलान क्षैत्रफल की नकल साथ पेश है। भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने बिना किसी विधिक आदेश एवं अधिकार के वादीगण की साबिक कृषि आराजियात का रकबा कम कर दिया तथा आराजी संख्या 1574 के साबिक नम्बर 719/5 की जगह 719/2 अंकित कर दिया जो गलत है तथा वादीगण का उक्त कृषि नम्बरो पर कब्जा होते हुए भी बिना किसी विधिक आदेश, अधिकार एवं मन मकसूद तरीके से वादीगण का खाता खत्म कर दिया, जो गलत होकर अवैध है। वादीगण का अपने पिता एवं पति के समय से उक्त वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। जिसे करीब 32 वर्ष ही हो चूके है। वादीगण को उक्त कृषि भूमियो पर एडवर्स परेजन हो चुका है, जिससे भी वादीगण खातेदार काश्त कार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण वक्त आवंटन से वादग्रस्त कृषि भूमियो पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण की कृषि आराजियात को बिलानाम करते हुए खाता खत्म कर दिया गया है,

जिससे प्रतिवादी वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमियो से बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे है। जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध बिनाय वाद ग्राम खेमाणा मे भू प्रबन्ध होने के बादं वादीगण का खाता खत्म कर देने तथा उसके बाद इसकी जानकारी वादीगण को 21.07.2011 को होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.01.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस ज़ारी किये गये। नोटिस की पालना मे पैरोकार सरकार उपस्थित है तथा उनकी तरफ से जवाब दावा पेश किया। वादी के वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1–आया ग्राम खेमाणा मे स्थित साबिक आराजी संख्या 719 मी रकबा 4 बीघा भूमि वादीगण के पिता व पति को अलोट हुई थी जिस पर वक्त अलोटमेन्ट से वादीगण के पिंता व पति तथा उनके बाद वादीगण लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे जिससे वादीगण नवीन आराजी संख्या 1574, 1575, 1576, 1577 कुल किता 04 कुल रकबा 0.79 हे0 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

2–आया वादीगण का वाद ग्रस्त भूमि पर 32 वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा चला आ रहा है जिससे भी वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है।

3–आया भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध कर्मचारियो ने बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण के खाते को विलोपित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से पुनः वादीगण के नाम दर्ज करने की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक है।

4–आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन आराजी संख्या 1574 के साबिक नम्बर 719/5 की जगह मिलान क्षैत्रफल मे 719/2 कर दिया गया है। जिससे भी दुरस्त कराने की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है।

5–अनुतोष ?

उपरोक्त तनकियात पर तनकी अनुसार निम्न विनिश्चय तनकी संख्या 1, 2 व 3 एक दुसरे से संबंधीत होने से उनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के पिता व पति मोहनलाल को दिनांक 06.07.79 को साबिक आराजी संख्या 719 मी रकबा 4 बीघा आवंटन की गई तब से उक्त भूमि पर मोहनलाल व उसकी मृत्यु के पश्चात वादीगण काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण मे आवंटन आदेश, सिपुर्दगीनामा व नक्शा ट्रेस साथ पेश है। साबिक आराजी संख्या 719 रकबा 4 बीघा का राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरण संख्या 608 दिनांक 04.05.1980 के जरिये मोहनलाल के नाम पर दर्ज की गई। नामान्तरकण संख्या 608 दिनांक 04.05.1980 व जमाबन्दी संवत 2030 से 2036 तक की पत्रावली मे पेश है तथा अलोट सुदा आराजी के नवीन नम्बर 719/5 कायम किये गये। वादीगण अपने पति व पिता के समय से उक्त आराजी संख्या 719/5 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे करीब 32 वर्षो हो गये है। मोहन की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण संख्या 1008 के जरिये खाता वादीगण के नाम दर्ज हो गया। प्रमाण मे जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 व 2050 से 2053 तथां नामान्तरण संख्या 1008 की नकल वाद पत्र मे पेश है। भू प्रबन्ध के पश्चात वादीगण की साबिक आराजी संख्या 719/5 रकबा 4 बीघा के नवीन नम्बर 1574 रकबा 0.09 हे0, 1575 रकबा 0.08 हे0, 1576 रकबा 0.31 हे0, 1577 रकबा 0.31 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.79 हे0 कायम किये गये मिलान क्षैत्रफल व वर्तमान जमाबन्दी साथ पेश है। सेटलमेन्ट के दौरान भू प्रबन्ध के अधिकारियो द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण के खाते को विलोपित कर दिया तथा वादीगण के कब्जे सुदा आराजी को बिलानाम सरकार कर दिया। वादीगण का वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा होते हुए भी बिना किसी विधिक आदेश अधिकार एवं मनमकसुद तरीके से भू प्रबन्ध विभाग ने वादीगण का खाता खत्म कर दिया है जो गलत है जिससे आराजी संख्या 1574, 1575, 1576, 1577 कुल किता 04 कुल रकबा 0.79 हे0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादीगण ने आवंटन की पत्रावली व जमाबन्दी 2033 से 2053 तक की पेश कर रखी है जिसमे साबिक आराजी संख्या 719/5 मोहनलाल के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। तथा मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तरण संख्या 1008 के वादीगण के नाम पर दर्ज हुई। पैरोकार सरकार द्वारा भी वादीगण को भूमि आवंटन स्वीकार किया है। तथा वादीगण की ओर से छुटे हुए खातो की सूची पेश की गई है जिसमे क्रम संख्या 03 पर भी वादीगण का नाम अंकित है। तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त सूची के आधार पर वादीगण की भूमि का खाता विलोपित कर बिलानाम करने का आदेश कर दिया जो

गलत होकर अवैध है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व रेकार्ड की प्रविष्टि को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। वादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2013(1) हरिनारायण बनाम भागीरथ वगै0 मे पेज संख्या 226 पेश किया गया जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रूप से माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान अजमेर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि The settlement authorities are not competent to change the previous entries existed in the revenue record unless the changes occur under the order of a competent authority. वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण मे पुरी तरह लागु होता है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड मे किसी भी प्रविष्टि को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है।

वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रेकार्ड मे सन् 1980 से दर्ज रेकार्ड चला आ रहा है। परन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण का खाता विलोपित कर देना विधि सम्मत नही है। वर्तमान मे आराजी संख्या 1574 रकबा 0.09 हे0 पर मौके पर खाननीया जाने वाले रास्ता है तथा आराजी संख्या 1575 रकबा 0.08 हे0 पर गे0मु0 सडक निकली हुई है जिससे उक्त दोनो नम्बर वादीगण के नाम दर्ज किया जाना उचित नही है। उक्त दोनो नम्बरो को वादीगण छोडने के लिये सहमत है। जिससे वादीगण आराजी संख्या 1576 रकबा 0.31 हे0, 1577 रकबा 0.31 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.62 हे0 पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 01, 02 व 03 वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था परन्तु वादीगण आराजी संख्या 1574 को छोडने के लिये सहमत है जिससे तनकी संख्या 04 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 अनुतोष–तनकी संख्या 01, 2 व 3 वादीगण के पक्ष मे व तनकी संख्या 04 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाने से वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम खेमाणा पटवार हल्का पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादीगण की आराजी संख्या 1576 रकबा 0.31 हे0, 1577 रकबा 0.31 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.62 हे0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे वादीगण का नाम अमल दरामद के लिये प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

29/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
29/6/17

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–5/13 वाद पत्र

उनवान

1–रतनलाल आत्मज मोहनलाल चमार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)
2–मिठूडी बेवा मोहनलाल चमार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज.)

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण द्वारा ग्राम खेमाणा पटवार हल्का पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादीगण की आराजी संख्या 1576 रकबा 0.31 हे0, 1577 रकबा 0.31 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.62 हे0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे वादीगण का नाम अमल दरामद के लिये प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

29/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 29.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

29/6/17

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा